



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234833
CG-DL-E-05042022-234833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1513]
No. 1513]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

का.आ. 1574(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.अ. 4964 (अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 8.700 से 12.700 कि.मी. (बिलासपुर से नेर चौक सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 "टाईम्स ऑफ इण्डिया" (अंग्रेजी) व "दैनिक सवेरा" (हिन्दी) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में NH21 के कि.मी. 8.700 से कि.मी. 12.700 (बिलासपुर –नेर चौक सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: बिलासपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नैना देवी				
	गांव का नाम: गारा				
1	560/411	निजी	बाराती	0.0301	कुल भाग 11340 अमित, गौरव पुत्र रोशन लाल पुत्र शिवदयाल भाग बराबर 1440 भाग रोडू राम उर्फ रोडा पुत्र ढेरू पुत्र गोपी 1440 भाग भुपेन्द्र शर्मा, मूलख राज पुत्र व श्रीमती मीना देवी पुत्री व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 जयकिशन पुत्र दौलत राम भाग बराबर 748 भाग जयराम पुत्र दौलत राम पुत्र मुनसी 748 भाग मीनष कुमार, विजय कुमार, कर्म चन्द भाग बराबर 595 भाग पुत्र व श्रीमती रामदुलारी 153 भाग पत्नी स्व0 गोपाल चन्द पुत्र दौलत राम, तीश्र राम पुत्र गिरधारी पुत्र मुनसी 2076 भाग रमेश चन्द उर्फ रमेश कुमार पुत्र अमरनाथ पुत्र हरीया 1035 भाग प्रवीण कुमार, उमादत, मनीष कुमार पुत्र व श्रीमती राम आसरी पत्नी स्व0 ठाकर दास पुत्र अमरनाथ भाग बराबर 1035 भाग प्रेम लाल, तेष कुमार, राजेन्द्र कुमार, राम कुमार पुत्र प्रीता पुत्र हरीया भाग बराबर

					2070 भाग स्थानीय वासी कब्जा स्वयं (५६०/४११)
			कुल	0.0301	

[फा. सं. 11012/2/2014/LA/PIU-SML/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2022

S.O. 1574(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 4964(E) dated the 3rd December 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 21 on the stretch of land from Km. 8.700 to Km. 12.700 (Bilaspur – Ner Chowk Section) in District Bilaspur and Mandi in the State of Himachal Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in the newspaper “Times of India” (English) dated the 23rd December 2021 and “Dainik Saveri” (Hindi) dated the 23th December 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH21 in the stretch of land from Km. 8.700 to Km. 12.700 (Bilaspur – Ner Chowk Section) in the district of BILASPUR in the state of HIMACHAL PRADESH.

State: HIMACHAL PRADESH			District: BILASPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Naina Devi				
	Village: Gara				
1	560/411	Private	Barani	0.0301	Total share 11340 Amit Kumar, Gaurav S/O Roashan Lal S/O Shiv Dayal equal share 1440 share Rodu Ram alias Roda S/O Dheru S/O Gopi 1440 share

					Bhupinder Sharma, Mulakh Raj S/O & Smt. Meena Devi S/O & Smt. Nirmla Devi Wd/o Jai Kishan S/O Daulat Ram equal share 748 share Jairam S/O Daulat Ram S/O Munshi 748 share Manish Kumar, Vijay Kumar, Karam Chand equal share 595 share S/O & Smt. Ramdulhari 153 share Wd/o Gopal Chand S/O Daulat Ram, Tirth Ram S/O Girdhari S/O Munshi 2076 share Ramesh Chand alias Ramesh Kumar S/O Amarnath S/O Hariya 1035 share Parveen Kumar, Umadutt, Manish Kumar S/O & Smt. Ramasari Wd/o Thakar Dass S/O Amarnath equal share 1035 share Prem Lal, Tesh Kumar, Rajinder Kumar, Ram Kumar S/O Preeta S/O Hariya equal share 2070 share local resident.....Kabja Sawaym 560/411
			TOTAL	0.0301	

[F. No. 11012/2/2014/LA/PIU-SML/3D1]

RAJESH GUPTA, Director